Contractor / S.E

संख्या– /IV(2)-श0वि0–2018–74(सा0)15टी0सी0VI

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 23 मई, 2018

विषयः "अमृत" मिशन के अन्तर्गत अनुमोदित State Annual Action Plan (SAAP) के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 634/IV(2)–श0वि0–2016–74(सा0) 15टी0सी0, दिनांक 02.05.2016, दिनांक 18.10.2016 एवं शासनादेश दिनांक 27.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा "अमृत" मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 हेतु अनुमोदित SAAP के सापेक्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित क्रमशः ₹29.71 करोड़, ₹39.47 करोड़ एवं ₹49.43 करोड़ इस प्रकार कुल धनराशि ₹118.61 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "अमृत" मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 हेतु अनुमोदित SAAP के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि में से नगर निगम, हरिद्वार, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी–काठगोदाम की संलग्नक–1 पर वर्णित जलापूर्ति, सीवरेज/सैप्टेज योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ₹9046.36 लाख (रूपये नब्बे करोड़ **छियालीस लाख छत्तीस हजार मात्र**) का व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उपरोक्तानुसार धनराशि का व्यय पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि/कार्यों के अनुरूप किया जायेगा, एवं पेयजल निगम की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा उल्लिखित किए गए समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) "अमृत" मिशन की गाईड लाईन्स में निहित व्यवस्थानुसार धनराशि किस्तों में प्रदान की जायेगी।

(iii) यदि योजना हेतु भूमि उपलब्धता एवं अन्य विभागीय स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुयी हों तो परियोजना हेतु कार्यादेश जारी नहीं किया जायेगा।

(iv) इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 02.05.2016, 18.10.2016 एवं 27.07.2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) प्रश्नगत योजनाओं हेतु धनराशि यथाशीघ्र कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराए जायेगी, जिससे योजना का क्रियान्वयन अविलम्ब प्रारम्भ किया जा सके।

(vi) "अमृत" मिशन के अन्तर्गत कोई भी आकस्मिकताएं अथवा लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होंगी तथा किसी भी अपूर्ण तथा पहले से चालू परियोजनाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(vii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(viii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुसार निविदाएं टू–बिड सिस्टम पर तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाय, ताकि सक्षम व अनुभवी फर्मों/निविदादाताओं द्वारा ही निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जाय तथा उच्च स्तरीय फर्म का चयन किया जा सके।

..2/–

Contractor / S.E

Contractor / S.E

(ix) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें कि

(x) भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। निदेशालय स्तर पर स्वीकृत कार्यों की तृतीय पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xi) परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। **निदेशालय स्तर पर स्वीकृत कार्यों की तृतीय पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(xii) स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी guidelines/Toolkit एवं समय–समय पर निर्गत आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) योजनाओं की स्वीकृति के समय योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए Project Implementation Schedule (CPM/CPERT/BAR CHART) तैयार किया जाना चाहिए, जिससे Cost Over run and time over run से बचा जा सके।

(xiv) स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(xv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(xvi) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र यथासमय शासन को प्रस्तुत किए जायेंगे। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(xvii) निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

(xviii) धनराशि का दिनांक 31–3–2019 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–166/XXVII(2)/2018 दिनांकः 23.05.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या–540 (1)/IV(2)-श0वि0–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
   निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूं/गढवाल मण्डल नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

–3/–

Contractor / S.E

Contractor / S.E

11. प्रोजेक्ट मैनेजर, अमृत/निर्माण इकाई (वि0), देहरादून, उत्तराखण्ड।
12. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास विभाग के पोर्टल में इस शासनादेश को सम्मलित करने का कष्ट करें।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

Contractor / S.E

Contractor / S.E

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः–540 /IV(2)-शा0वि0–2018–74(सा0)15 टीसी0VI
दिनांक 23 मई, 2018 का संलग्नक।

नगर निगम, हरिद्वार, रूद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी की जलापूर्ति, सीवरेज/सैप्टेज सम्बन्धी योजनाएंः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	योजना का विवरण	लागत रू0 लाख में (सेन्टेज रहित)			योजना हेतु प्रस्तावित वर्ष
	जलापूर्ति, सीवरेज/सेप्टेज योजनाएं–	निर्माण लागत	अधिप्राप्ति लागत	योग	
1.	हरिद्वार भूपतवाला एवं भीमगोडा पेयजल योजना जोन–ए	540.97	71.21	612.18	2015-16
2.	हरिद्वार कनखल पेयजल योजना जोन–डी	485.18	111.62	596.80	2015-16
3.	हरिद्वार ज्वालापुर जोन ई–1 एवं ई–2 पेयजल योजना	508.80	157.09	665.89	2015-16
4.	रूद्रपुर सेप्टेज योजना(ऑन पायलेट बेसिस)	4.64	685.33	689.97	2016-17
5.	रूद्रपुर पेयजल योजना जोन–3	1274.40	458.17	1732.57	2016-17& 2017-18
6.	काशीपुर पेयजल योजना जोन–3	786.80	282.77	1069.57	2017-18
7.	हल्द्वानी शहर में 28 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट	569.74	3109.64	3679.38	2015-16, 2016-17& 2017-18
	योग	4170.53	4875.83	9046.36	

(डी0एम0एस0राणा)
उप सचिव।

Contractor / S.E